पत्रांक–योजना बजट–35/2012 /प०व०

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
बिहार, पटना

पटना–15, दिनांक–........../06/2015

विषय :– वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2014–15 तक पथ तट फार्म योजना के तहत मुख्यमंत्री निजी पॉपलर पौधशाला अंतर्गत ₹ 2591.98 लाख (पच्चीस करोड़ एकानबें लाख अंठानबे हजार ₹) मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 585.89 लाख (पाँच करोड़ पचासी लाख नवासी हजार ₹) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–4329 दिनांक–19.12.2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2014–15 तक पथ तट फार्म योजनान्तर्गत किसानों को उनके निजी जमीन पर पौधशाला स्थापित करने, पौधशाला के प्रति किसानों की स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा कायम करने तथा नहर नदी के किनारे खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करने के उद्देश्य से कुल 1705 एकड़ में कुल 3410000 पॉपलर ई०टी०पी० का उपयोग कर 17050000 पॉपलर पौधे तैयार किये जाने हेतु मुख्यमंत्री निजी पॉपलर पौधशाला के तहत कुल ₹ 2591.98 लाख (पच्चीस करोड़ एकानबें लाख अन्ठानबे हजार ₹) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2014–15 में व्यय हेतु मात्र ₹ 585.89 लाख (पाँच करोड़ पचासी लाख नवासी हजार ₹) की स्वीकृति दी गई थी।

आपके पत्रांक–1723 दिनांक–08.05.2015 एवं पत्रांक–1905 दिनांक–26.05.2015 द्वारा दी गई सूचनानुसार पूर्ण योजना का क्रियान्वयन किया गया है, परंतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में होने वाली व्यय की राशि ₹ 585.89 लाख में से वित्त विभाग के पत्रांक–3196 दिनांक–27.03.2015 द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में कतिपय प्रमंडलों से संबंद्ध कोषागार पदाधिकारियों द्वारा चेक पारित नहीं करने के कारण वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 46.35493 लाख की निकासी नहीं हो पायी है। चूँकि योजना क्रियान्वित

हो गयी है। अतएव वित्तीय वर्ष 2014–15 की अव्ययित ₹ 46.35493 लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में निकासी कर व्यय करने की आवश्यकता दर्शायी गई है।

अतः आपकी अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत निदेशानुसार स्वीकृत कुल योजना राशि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 का अव्ययित राशि ₹ 46.35493 लाख (छियालीस लाख पैंतीस हजार चार सौ तिरानवे ₹ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में निकासी कर व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रत्नेश झा)
,सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–35/2012 1907/प०व० पटना–15, दिनांक–29/06/2015

<u>प्रतिलिपि</u> :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पटना, भोजपुर, नालन्दा, गया, औरंगाबाद, जमुई, पूर्णियाँ, बांका, अररिया, सहरसा, तिहुत, मिथिला, बेगूसराय, मोतिहारी, सारण, गोपलगंज, कैमूर, रोहतास, वन प्रमण्डल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, बेतिया–1 एवं 2, वन संरक्षक, पूर्णियाँ, भागलपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, सीवान, वन्यप्राणी अचंल, पटना, वन संरक्षक–सह–निदेशक, बाल्मीकि व्याघ्र परियोजना अचंल, बेतिया एवं इनसे संबंद्ध जिला कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी० मैनेजर/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/6/15
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव